भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

<u>लोक सभा</u>

<u>अतारांकित प्रश्न सं. 3590</u>

(जिसका उत्तर सोमवार, 16 मार्च, 2020 /26 फाल्गुन, 1941 (शक) को दिया जाना है)

कॉर्पोरेट कर

3590. श्री जसबीर सिंह गिलः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कॉर्पोरेट पर लगने वाले कॉर्पोरेट कर को 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया है जबकि सरकारी समितियों पर इस कर में कोई कटौती नहीं की गई है जो उनके साथ अन्याय है क्योंकि सहकारी समितियां, विशेषकर डेयरी, संकट का सामना कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सहकारी समितियों पर लगने वाले कॉर्पोरेट कर में कटौती करेगी?

उत्तर

<u>वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)</u>

(क)तथा (ख): कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 115खकख अंत:स्थापित की गई है ताकि मौजूदा घरेलू कंपनियों को कतिपय शर्तों के अधीन 22% की रियायती कर दर का प्रावधान किया जा सके जिसमें यह शामिल है कि वे किसी विनिर्दिष्ट प्रोत्साहन अथवा कटौतियों का लाभ न लें। यह भी प्रावधान किया गया है कि रियायती कराधान व्यवस्था का विकल्प देने वाली मौजूदा घरेलू कंपनियों को कोई न्यूनतम वैकल्पिक कर की अदायगी नहीं करनी पड़ेगी।

2. मौजूदा घरेलू कंपनियों के लिए निगम कर दरों में कटौती के तर्ज पर वित्त विधेयक, 2020 में अधिनियम में धारा 115खकघ को अन्त:स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि भारत में निवासी सहकारी समितियों के लिए रियायती कराधान व्यवस्था का प्रावधान किया जा सके जिसमें वे कतिपय शर्तों के अधीन 22% की रियायती कर दर पर कर अदा करने का विकल्प दे सकती हैं जिसमें यह शामिल है कि वे किसी विनिर्दिष्ट प्रोत्साहन अथवा कटौतियों का लाभ न लें। उक्त रियायती कराधान व्यवस्था का विकल्प देने वाली सहकारी समितियों को कोई वैकल्पिक न्यूनतम कर की अदायगी नहीं करनी पड़ेगी।

****